Registered Email

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज (मूल पद– अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–3061 दिनांक– 12.09.2016 के द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2745 दिनांक–20.10.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 अंतर्गत पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति भुगतान में अनियमितता, वित्तीय अनियमितता, अनाधिकृत अनुपस्थिति, स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारी के आदेश के उल्लंघन, कार्य में लापरवाही एवं वित्तीय लापरवाही के आरोप में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं उप निदेशक कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा को उपस्थापन पदाधिकारी घोषित किया गया।

2. विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही संपादित कर अपने पत्रांक–07/वि0स0गो0को0 दिनांक–20.01.17 द्वारा जॉच प्रतिवेदन/अभिमत उपलब्ध कराया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में प्रतिवेदित आरोपों में छात्रवृत्ति भुगतान में अनियमितता/वित्तीय अनियमितता संबंधी आरोप को प्रमाणित पाया गया एवं अन्य आरोपों को भी आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

5. प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज से विभागीय पत्रांक –404 दिनांक –20.02.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक –788 दिनांक –28.03.2017 एवं विभागीय पत्रांक –1239 दिनांक –05.06.2017 द्वारा स्मारित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा अपने पत्रांक–620 दिनांक–10.06.17 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम में प्रमाणित आरोपों एवं श्री सिन्हा के द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिन्हा को छात्रवृत्ति भुगतान में अनियमितता, वित्तीय अनियमितता, अनाधिकृत अनुपस्थिति, स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारी के

आदेश के उल्लंघन, कार्य में लापरवाही एवं वित्तीय लापरवाही सम्बन्धी प्रतिवेदित आरोप के लिये दोषी पाया गया। फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (सी.सी.ए.) नियमावली, 2005 के नियम–14 (viii) में निहित प्रावधानों के तहत वर्तमान कालमान वेतन से तीन वेतन वृद्धियों के समतुल्य निम्नतर कालमान वेतन में ह्रास का दण्ड अधिरोपित किया जाता है जो उनके सेवान्त लाभों पर भी प्रभावी होगा।

6. उपरोक्त शास्ति अधिरोपित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2745 दिनांक–20.10.16 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. इस आदेश की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3जी/(आरोप) राज0–10–31/2016– 1710 **पटना, दिनांक**–17/7/17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1– संचालन पदाधिकारी–सह–तत्कालीन विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

2– उपस्थापन पदाधिकारी–सह– उप निदेशक कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा।

3– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ।

4–जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज।

5–संयुक्त सचिव (स्थापना) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

6– श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, (मूल पद–अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी) प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3जी/(आरोप) राज0–10–31/2016– 1710 **पटना, दिनांक**–17/7/17

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.7.17

सरकार के संयुक्त सचिव।